रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032021-225944
CG-DL-E-16032021-225944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942
No. 142] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

सा.का.नि. 191(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in के माध्यम से भेजा जा सकता है।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये नियम 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में नियम 47 के उप-नियम (1) में खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ढ) वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो।"

3. उक्त नियमों में, नियम 81 में -

(i) पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि इसके अलावा, वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वाहन पंजीकृत होने के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का शुल्क उद्गृहित नहीं किया जाएगा।"

(ii) इस तालिका में, क्र.सं. 4 के अंतर्गत आने वाली पंक्तियों से संबंधित कॉलम 1 से 5 में प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्र.सं.	उद्देश्य	राशि	नियम	धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना और नया पंजीकरण चिह्न सौंपना या पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करना-		47(1) 52(1) 54(1) 76(1) 78(1)	
	(क) अशक्त यात्री गाड़ी	पचास रुपये		
	(ख) मोटर साइकल: (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीनीकरण	 तीन सौ रुपये एक हजार रुपये		
	(ग) तीन पहिया/क्वाड्रीसाइकल: (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीनीकरण	 छह सौ रुपये दो हजार पांच सौ रुपये		
	(घ) हल्के मोटर यान: (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीनीकरण	 छह सौ रुपये पांच हजार रुपये		
	(ड.) मध्यम माल/यात्री यान -	एक हजार रुपये		
	(च) भारी माल/यात्री यान -	एक हजार पांच सौ रुपये		
	(छ) आयातित मोटर यान (दो/तीन पहियों वाले)			

	- (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीनीकरण	दो हजार पांच सौ रुपये दस हजार रुपये		
	(ज) आयातित मोटर यान (चार या अधिक पहियों वाले) (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीनीकरण	पांच हजार रुपये चालीस हजार रुपये		
	(झ) कोई अन्य वाहन, जो ऊपर उल्लेखित नहीं (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीनीकरण	तीन हजार रुपये छह हजार रुपये		
	नोट 1: यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र एक स्मार्ट कार्ड टाइप है, जो प्रपत्र 23क में जारी किया गया या नवीनीकृत है, तो दो सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क उदगृहित किया जाएगा। नोट 2: पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में देरी के मामले में, मोटर साइकिल के संबंध में प्रत्येक माह या उसके हिस्से में देरी के लिए तीन सौ रुपये और परिवहन वाहनों की अन्य श्रेणी के मामले में प्रत्येक महीने या उसके हिस्से में देरी के लिए पांच सौ रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।			

(iii) क्रम संख्या (10) और उसके बाद से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा: -

"10क.	15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने और नवीनीकरण के लिए किसी वाहन का परीक्षण करना।		62(2)	
	(क) मोटर साइकल	(i) हस्तचालित : चार सौ रुपये (ii) स्वचालित : पांच सौ रुपये		
	(ख) तीन पहियों वाले या हल्के मोटर यान या क्वाड्रीसाइकल	(i) हस्तचालित : आठ सौ रुपये (ii) स्वचालित: एक हजार रुपये		

	(ग) मध्यम माल / यात्री मोटर यान	(i) हस्तचालित: आठ सौ रुपये (ii) स्वचालित: एक हजार तीन सौ रुपये		
	(घ) भारी माल/ यात्री मोटर यान	(i) हस्तचालित: एक हजार रुपये (ii) स्वचालित: एक हजार पांच सौ रुपये		

(iv) क्रम संख्या (11) और उसके बाद से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा: -

11क.	15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करना या नवीनीकरण		62(2)	”.
	(क) मोटर साइकल	एक हजार रुपये		
	(ख) तीन पहियों वाले या क्वाड्रीसाइकल	तीन हजार पांच सौ रुपये		
	(ग) हल्के मोटर यान	सात हजार पांच सौ रुपये		
	(घ) मध्यम माल / यात्री मोटर यान	दस हजार रुपये		
	(ड.) भारी माल/ यात्री मोटर यान	बारह हजार पांच सौ रुपये		
नोट: फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।				

[सं. आरटी-23013/2/2021-टी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), 2 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......... (अ), दिनांकित........द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2021

G.S.R. 191(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30

days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email: *comments*-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. –(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (………Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force with effect from 1st day of October, 2021.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 47, in sub-rule (1), after clause (m), the following clause shall be inserted, namely: -

"(n) Certificate of vehicle scrapping, if available.".

3. In the said rules, in rule 81, -

(i) after first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that, in case, vehicle is registered on submission of certificate of vehicle scrapping, the fee for issue of certificate of registration shall not be levied."

(ii) in the TABLE, entries in column 1 to 5 relating to rows falling under sr. no. 4, the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Purpose	Amount	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Issue of certificates of registration and assignment of new registration mark or renewal of certificate of registration.-		47(1) 52(1) 54(1) 76(1) 78(1)	
	(a) Invalid carriage	Fifty rupees		
	(b) Motor cycle:			
	(1) New registration	Three hundred rupees		
	(2) Renewal of registration	One thousand rupees		
	(c) Three wheeler/Quadricycle:	Six hundred rupees		
	(1) New registration	Two thousand five hundred rupees		
	(2) Renewal of registration			
	(d) Light motor vehicle:			
	(1) New registration	Six hundred rupees		
	(2) Renewal of registration	Five thousand rupees		
	(e) Medium Goods/Passenger vehicle. -	One thousand rupees		
	(f) Heavy Goods/Passenger vehicle. -	One thousand five hundred rupees		

	(g) Imported motor vehicle (Two/Three wheeled). - (1) New registration (2) Renewal of registration	Two thousand five hundred rupees Ten thousand rupees		
	(h) Imported motor vehicle (Four or more wheeled). - (1) New registration (2)Renewal of registration	Five thousand rupees Forty thousand rupees		
	(i) Any other vehicle not mentioned above (1) New registration (2) Renewal of registration	Three thousand rupees Six thousand rupees		
	Note 1: Additional fee of two hundred rupees shall be levied if the certificate of registration is a smart card type issued or renewed in Form 23A. Note 2: In case of delay in applying for renewal of certificate of registration, an additional fee of three hundred rupees for delay of every month or part thereof in respect of motor cycles and five hundred rupees for delay of every month or part thereof in respect of other classes of no transport vehicles shall be levied.			

(iii) after serial number (10) and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

"10A.	Conducting test of a vehicle for grant and renewal of certificate of fitness for motor vehicles older than 15 years.		62(2)	
	(a) Motorcycle	(i) Manual: Four hundred rupees (ii) Automated: Five hundred rupees		
	(b) Three wheeled or light motor vehicle or quadricycle	(i) Manual: Eight hundred rupees (ii) Automated: One thousand rupees		

	(c) Medium goods / passenger motor vehicle	(i) Manual: Eight hundred rupees (ii)Automated: One thousand three hundred rupees		
	(d) Heavy goods / passenger motor vehicle	(i) Manual: One thousand rupees (ii) Automated: One thousand five hundred rupees		

(iv) after serial number (11) and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

11A.	Grant or renewal of certificate of fitness for motor vehicle vehicles (transport) older than 15 years.		62(2)	’’.
	(a) Motorcycle	One thousand rupees		
	(b) Three wheeled or quadricycle	Three thousand five hundred rupees		
	(c) light motor vehicle	Seven thousand five hundred rupees		
	(d) Medium goods / passenger motor vehicle	Ten Thousand rupees		
	(e) Heavy goods / passenger motor vehicle	Twelve thousand five hundred rupees		
Note: Additional fee of fifty rupees for each day of delay after expiry of certificate of fitness shall be levied.				

[No. RT-23013/2/2021-T]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, extraordinary, part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R._________(E), dated the __________

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.16 22:36:00 +05'30'